प्रेस नोट **15/02/2025**

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 15.02.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान वारण्टी अभियुक्तगण रामप्रकाश पुत्र हरिचन्द्र, मोहित पुत्र रामप्रकाश निवासीगण चान्दमारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

दहेज हत्या से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15/02/2025 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवें अण्डर पास याकूबपुर शमशाबाद के पास से मु0अ0सं0 06/25 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना रानीपुर में वांछित अभियुक्त काशी सरोज पुत्र बेचू पासवान निवासी शमशाबाद थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. काशी सरोज पुत्र बेचू पासवान साकिन शमशाबाद थाना रानीपुर जनपद मऊ।

गिरफ्ताकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, हे0कां0 मिथलेश कुमार सिंह, हे0कां0 विकेश कुमार यादव थाना रानीपुर जनपद मऊ।

थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ितो का फ्रॉड हुआ कुल 23000 (20000+3000) रुपये वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्राड हुए दो अलग अलग प्रकरण में कुल 23000रु (तेइस हजार रु.) पीड़ित आरिफ अहमद निवासी बस्ती थाना रानीपुर मऊ व रोहित यादव निवासी रानीपुर के अकाउन्ट में वापस कराया गया।

प्रकरण 1 में आवेदक आरिफ अहमद उपरोक्त ने अनजान लिंक पर क्लिक कर मोबाइल हैक कर आवेदक के खाते से धनराशि निकाल लिया। आवेदक की मोबाइल पर एसएमएस आने पर इसकी जानकारी होने पर आवेदक ने पुलिस कम्पलेन किया।

प्रकरण 2 में आवेदक रोहित यादव उपरोक्त ने बिजली के बिल का पैसा जमा कराने हेतु विपक्षी के खाता में 20000 रुपया फोन पे के माध्यम से स्थान्तरित किया गया था काफी दिन बीत जाने के बाद न तो बिल ही जमा हुआ और न ही आवेदक का पैसा वापस आया। शक होने पर आवेदक ने पुलिस कम्पलेन किया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त दोनो प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल कर आवेदक के खाते में कुल 23000 (20000 + 3000) रुपये वापस कराये अन्य जांच पड़ताल जारी है विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बरामदकर्ता साइबर पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक रानीपुर श्री राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 रामाज्ञाकुमार (नोडल अधिकारी), उ0नि0 निशा त्रिपाठी, क0आ0 अब्दुल रब, म0का0 वैशाली सिंह, म0का0 शालिनी थाना रानीपुर जपनद मऊ।

साथ ही साथ थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुआ 4000 रुपये को पीडित के खाते में वापस कराया गया।

थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा गबन किए 1.48.000 रुपये को पीडिता को वापस दिलाया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट महिला हेल्प डेस्क पर आवेदिका गुलजारी देवी पत्नि रामजनम निवासिनी इटौरा थाना रानीपुर मऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दामाद के पडोसी रतन पुत्र बलवन्त निवासी जमीन काजीहसन थाना चिरैयाकोट मऊ के साथ इण्डियन बैंक शाखा चिरैयाकोट से पैसा उतारने हेतु जाना व खाता बन्द होने की बात कहकर 1,50,000/- रूपये निकालना व दवा हेतु 2,000/- रूपये देकर शेष 1,48,000/- रूपये पैसा जमा करने की बात कहकर 1,48,000/- रूपये गबन करने के नियत से नही देना। थाना स्थानीय की साईबर टीम व महिला हेल्प डेस्क टीम द्वारा रतन पुत्र बलवन्त निवासी जमीन काजीहसन थाना चिरैयाकोट मऊ से आवेदिका को 1,48,000/-रूपये दिलाया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 24 दिवस) व ₹4,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 13-02-2025 को मु0अ0सं0 593/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त रामू बिन्द पुत्र स्व0 ठग्गा बिन्द निवासी सोनहरिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 24 दिवस) एवं ₹4,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।